



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 108 राँची, शुक्रवार,

24 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

24 जनवरी, 2023

संख्या-5/आरोप-1-3/2023-2506 (HRMS)--श्री असीम बड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-462/20), अंचल अधिकारी, तिसरी, गिरिडीह के विरुद्ध दिनांक 18.01.2023 को माननीय मुख्यमंत्री की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में Revenue Court Monitoring System की समीक्षा के क्रम में अंचल कार्यालय, तिसरी की लंबित मामलों की संख्या-13 (दाखिल खारिज मामलों को छोड़कर) एवं निष्पादित मामलों की संख्या-0 (शून्य) रहने के कारण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अत्यंत गंभीरता लिया गया है, उक्त के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-84/स्था०, दिनांक 18.01.2023 द्वारा इनको निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।

2. श्री बड़ा के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री बड़ा का मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में इनको झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ASIM BADA JHK/JAS/189)	श्री असीम बड़ा, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-462/20), अंचल अधिकारी, तिसरी, गिरिडीह को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत निलंबित किया जाता है।	24/01/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
